न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर, (आर0ए0एस0)
रास्ता प्रा0पत्र सं0 : 13 सन 2019
अनवान :–

1. राजेन्द्र 2 मदन 3 रामचन्द्र पि0 नत्थुराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर

सायलान

बनाम

1. मंगतु उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. ताराचन्द पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

गैर सायलान

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) बाबत स्वीकृत करवाने बाबत।

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, सालय

निर्णय दिनांक :– 18/2/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायलान प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 इस आशय का पेश किया कि सायलान की मुश्तरका खाते की भूमि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 130/113 के प0न0 367/394(60) किला न0 2 ,3 ,8 ,9 ,12 ,13 प्रत्येक 0.253हैक कुल 1.5180हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 108/93की कुल 1.8990हैक भूमि गैरसायलान की मुश्तरका खाते की भूमि है

सायलान अपने खेत खाता संख्या 130/113 के प0न0 367/394(60) के किला न0 12 में पहुचनें के लिये आबादी गांव पदमपुरा से स्वीकृतशुद्वा रास्ता से चलकर गैरसायल संख्या 1 ,2 की भूमि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के प0न0 367/394(60) के किला न0 11 मिन दक्षिण 0.0126हैक में पश्चिम से पूर्व चलकर अपनी कृषि भूमि में प0न0 367/394(60) किला न0 12 में प्रवेश करता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायलान को नही है यही रास्ता सुविधाजनक व नजदीकी है

उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिससे सायलान को नुकसान होता है गैरसायल रास्ता स्वीकृत नही होने का फायदा उठा कर कभी भी बन्द कर सकता है इसलिये सायलान उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है रास्ता की भूमि के बदले में सायलान प0न0 367/394(60) के किला न0 1 के चिपती हुई प0न0 367/394(60) के किला न0 2 में से मिन पश्चिम 0.0126हैक भूमि गैरसालय को देने को तैयार है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 10 जेएसएन के प0न0 367/394(60) के किला न0 11 मिन दक्षिण 0.0126हैक में पश्चिम से पूर्व एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

पेराकार राज ने जबाब पेश किया की सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता नही है सायलान को उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई उचित रास्ता नही है यही रास्ता उचित व सुविधाजनक है जो स्वीकृत फरमाया जाना उचित है एवं सायलान रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने को भी तैयार है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान को अपने खातेदार भूमि में जाने के लिये कोई भी स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है सायलान को अपनी खातेदारी भूमि काश्त करने हेतु लिये

उपख... (राजस्व) नोहर

रासते की आवश्यकता है सायलान गेरसायल की भूमि में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते है किन्तु यह रास्ता स्वीकृत नही है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है जिसके लिये गैरसायलान 1 ,2 सहमत है एव ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता नही है सायलान को उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई उचित रास्ता नही है यही रास्ता उचित व सुविधाजनक है जो स्वीकृत फरमाया जाना उचित है एवं सायलान रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने को भी तैयार है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाना उचित है।

हमने उभपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायलान एंव गैरसायल न0 1 ,2 दोनो खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं एक दुसर के चिपते हुए काश्तकार है तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट नक्शा के अनुसार सायलान को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसी भूमि तक आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है

सायलान अपनी खातेदारी भूमि जाने के लिये गैरसायल की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के प0न0 367/394(60) के किला न0 11 मिन दक्षिण 0.0126हैक् में पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जिसे गेरसायलान ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उक्त रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया गया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

इस प्रकार सायलान के प्रार्थना पत्र को गैरसायलान 1 ,2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज के द्वारा रास्ता स्वीकृत करने की अभिशांष के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 ,2 की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के प0न0 367/394(60) के किला न0 11 मिन दक्षिण में 0.0126 हैक् पश्चिम से पूर्व (1–1 गठठा) रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसके बदले में सायल की प0न0 367/394(60) के किला न0 1 के चिपती हुई किला न0 2 में से मिन पश्चिम में 0. 0126 हैक् भूमि गैरसायलान 1 ,2 के नाम से दर्ज की जावे।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 18/2/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर